

जिला प्रशासन,

विशेष परिस्थिति में राज्य से बाहर की यात्रा करने वाले व्यक्ति के संबंध में प्रपत्र
(संबंधित व्यक्ति द्वारा भरा जाएगा)

यात्री का नाम :
पिता का नाम :
उम्र : मोबाईल नम्बर:
आधार सं० :
वर्तमान पता ग्राम/मुहल्ला/रोड.....थाना.....
पंचायत/वार्ड सं०..... शहर.....
पिन कोड.....

सहयात्रियों की संख्या:

यात्रा का स्पष्ट प्रयोजन :

(30 शब्दों में न्यूनतम).....

(यह भी स्पष्ट करें कि Lockdown

पश्चात क्यों नहीं यात्रा.....

की जा सकती है).....

यात्रा प्रारंभ करने की तिथि : समय :

यात्रा समाप्ति की तिथि : समय :

साथ में जाने वाले यात्री की विवरणी

क्र०	यात्री का नाम	मोबाईल नम्बर	आधार सं०
1			
2			

क्या कोई भी यात्री विगत एक माह में देश/विदेश:
की यात्रा किए है, यदि हाँ तो विवरण दें

क्या किसी भी यात्री को निम्नांकित में से : बुखार
कोई लक्षण है या विगत 15 दिनों में रहा है खांसी सांस में तकलीफ

क्या यात्रा भ्रमण के दौरान किसी भी यात्री:
के द्वारा दूसरे स्थान पर किसी अस्पताल या
Quarantine Center भ्रमण करने या नहीं
रुकने का भी प्रस्ताव है, तो विवरण दें

घोषणा:-

- मेरे द्वारा उपलब्ध करायी गयी सारी जानकारियाँ सही है। जानकारी का गैर प्रकटीकरण/पृथक्करण दंड प्रावधानों को आकर्षित कर सकता है।
- हम सभी सहयात्री यह सहमति देते है कि यात्रा के पूर्व जिला मेडिकल टीम के समक्ष Covid-19 की Screening हेतु **जिला नियंत्रण कक्ष,** (10 बजे पूर्वा० से 05.00 बजे अप० तक) में उपस्थित होकर सहयोग करेंगे तथा यात्रा समाप्ति के पश्चात् पुनः Covid-19 Screening हेतु मेडिकल टीम के समक्ष जिला नियंत्रण कक्ष, में उपस्थित हो जायेगा। साथ ही यात्रा के बाद आवश्यक रूप से 14 दिन के लिए Home Quarantine में रहेंगे। उक्त में Covid-19 के संबंध में कोई भी लक्षण पाए जाने पर जिला नियंत्रण कक्ष अथवा पर तुरंत सूचित करेंगे।

आवेदक का हस्ताक्षर.....दिनांक.....

अन्य सहयात्री का हस्ताक्षर

1. (चालक)..... दिनांक.....
2. (एक अन्य सहयात्री)..... दिनांक.....

चिकित्सक टीम का मंतव्य

Fit to Travel

Yes/No

चिकित्सक का हस्ताक्षर.....

नोट:-

- ❖ एक चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम दो यात्रा करेंगे तथा यात्रा के दौरान Social distancing का पालन करेंगे।
- ❖ यात्रा के पूर्व तथा यात्रा की समाप्ति के पश्चात् वाहन सहित सभी सामान को disinfect करना सुनिश्चित करेंगे।
- ❖ जिला प्रशासन के द्वारा यात्रा करने की अनुमति अत्यंत विशेष परिस्थिति में दी जाएगी तथा किसी भी आवेदन को कोरोना महमारी के मद्देनजर बिना सूचना के रद्द किए जाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। प्राप्त पास का दुरुपयोग करने अथवा निहित शर्तों का उल्लंघन करने पर The Epidemic Diseases Act, 1897, Disaster Management Act तथा IPC की सुसंगत धाराओं के तहत कानुनी कार्रवाई की जा सकती है।
- ❖ आवेदक उपरोक्त प्रपत्र में जानकारी भरकर प्रिन्ट आउट/सुस्पष्ट हस्ताक्षर में अपने सहयात्री/ चालक के साथ जिला नियंत्रण कक्ष, में कार्यालय अवधि में उपस्थित होंगे।